भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3303

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

डीवीसी द्वारा निर्मित स्वामी विवेकानंद सेतु के निर्माण में अनियमितताएं

†3303. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) द्वारा निर्मित स्वामी विवेकानंद सेतु (आरओबी), बीटीपीएस बोकारो (झारखंड) के निर्माण में भारतीय रेल पुल नियमावली, मानक निर्माण गुणवत्ता, सुरक्षा दिशानिर्देश और श्रम कानूनों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सेतु मे निर्माण के लिए स्वीकृत लागत कितनी है, निविदा मूल्य क्या है, संशोधित लागत कितनी है, आरंभ और समापन की नियत तिथि क्या हैं और वास्तविक समापन तिथि संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त परियोजना के लिए किसी तृतीय-पक्ष गुणवत्ता नियंत्रण, सुरक्षा संपरीक्षा, पटरी संरक्षा स्वीकृति, सीआरएस अनुमोदन और डिजाइन आधार रिपोर्ट (डीबीआर) अनुमोदन प्राप्त किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या परियोजना किसी ठेकेदार या उप-ठेकेदार द्वारा निष्पादित की गई थी और यदि हां, तो इसमें शामिल कंपनियों का ब्यौरा क्या है और अब तक किए गए कुल भुगतान की राशि कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार का इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) या किसी अन्य अभिकरण द्वारा उच्चस्तरीय स्वतंत्र जांच/पड़ताल का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : दामोदर घाटी निगम (डीवीसी) ने सूचित किया है कि उसे गिरिडीह से माननीय संसद सदस्य से स्वामी विवेकानंद सेतु (रेल ओवर ब्रिज), बीटीपीएस बोकारो, झारखंड के निर्माण में कथित अनियमितताओं के बारे में शिकायत मिली है। शिकायत दिनांक 14.02.2026 और 25.02.2026 के पत्रों के माध्यम से प्राप्त हुई थी जिसमें परियोजना के निष्पादन के दौरान निर्माण गुणवत्ता मानकों, सुरक्षा दिशानिर्देशों और श्रम कानूनों के कथित उल्लंघनों की उच्च स्तरीय जांच का अनुरोध किया गया था।

(ख) : "बीटीपीएस, डीवीसी बोकारो में गोमोह-बरकाकाना रेलवे लाइन पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) सहित इसके पहुंच मार्ग के साथ कोनार नदी पर पुल के निर्माण" के लिए अनुमोदित परियोजना लागत 149.30 करोड़ रुपये थी। डीवीसी ने उपर्युक्त कार्य के लिए मेसर्स राइट्स लिमिटेड (राइट्स) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया। राइट्स ने मेसर्स सुप्रीम-बीकेबी-डीईसीओ (जेवी) को 134.22 करोड़ रुपये में निष्पादन अनुबंध अवार्ड किया, जो एल-1 बोलीदाता था और इसलिए, परियोजना की लागत को संशोधित कर 149.90 करोड़ रुपये कर दिया गया (जिसमें सेवा कर, शिक्षा उपकर और एनआईटी के प्रकाशन की लागत शामिल है)। परियोजना का कार्य दिनांक 25.02.2015 से शुरू हुआ और पूर्ण होने की निर्धारित तिथि 24.02.2018 थी। तथापि, राइट्स के अनुरोध पर शेष कार्य को पूरा करने हेतु समय-विस्तार (ईओटी) दिनांक 31.03.2026 तक दिया गया था। सम्पूर्ण कार्य तीन चरणों में किया गया है। पहले चरण में, कोनार नदी के ऊपर पुल का हिस्सा तथा इसके पहुंच मार्ग और रैम्प-1 को पूरा किया गया था और दिनांक 26.01.2020 को यातायात के लिए खोल दिया गया था। चरण-II में गोमोह-बरकाकाना रेलवे लाइन पर रेल ओवर ब्रिज (आरओबी) का कार्य दिनांक 27.02.2026 को पूरा हो गया है और चरण-III में बीटीपीएस से पुल को जोड़ने वाले रैंप-2 से संबंधित कार्य पूरा किया जाना है।

(ग) : डीवीसी ने सूचित किया है कि तीसरे पक्ष की गुणवत्ता नियंत्रण और परीक्षण बिरसा प्रौद्योगिकी संस्थान (बीआईटी) सिंद्री, झारखंड; सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड (सीईआईएल) और अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन (आरडीएसओ), लखनऊ द्वारा किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) द्वारा गर्डर लॉन्च करने की मंजूरी दी गई। ईसीआर ने ट्रैक मंजूरी के सत्यापन तथा आयामों की अनुसूची (एसओडी) और अन्य लागू रेलवे मानकों के अनुपालन के बाद सामान्य व्यवस्था ड्राइंग (जीएडी) को भी मंजूरी दे दी। रेलवे सुरक्षा आयुक्त (सीआरएस) द्वारा निरीक्षण समान प्रकृति के आरओबी कार्य को नियंत्रित करने वाले मौजूदा रेलवे दिशानिर्देशों के अनुसार अनिवार्य नहीं है। डिजाइन रिपोर्ट को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), पटना द्वारा अनुमोदित किया गया है।

(घ) : डीवीसी ने मेसर्स राइट्स लिमिटेड (राइट्स) को परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया, जिसने मेसर्स सुप्रीम-बीकेबी-डेको (जेवी) को कार्य निष्पादन के लिए अनुबंध अवार्ड किया। परियोजना के लिए ठेकेदार को अब तक किया गया कुल भुगतान 144.00 करोड़ रुपये है।

(ङ) : वर्तमान में, इस मामले की कोई पूछताछ या जांच विचाराधीन नहीं है।

****